

कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/G/2021-22/19752/मूल पत्रावली/127

दिनांक : 15/11/2021

सम्भागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उदयपुर ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
राजसमंद ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजसमंद ।

विषय : वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या : 41.0.0 के तहत नवीन रा.प्रा.वि. खोलने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : शासन उप सचिव, प्रा.शि. (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक : प. 17(6)प्राशि/आयों./बजट घो./नवीप्रावि/2021 जयपुर, दिनांक : 15.11.2021 ।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि शासन उप सचिव, प्रा.शि. (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक : 15.11.21 के संदर्भ में वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या : 41.0.0 के तहत ताल की भागल, ग्रा.पं. कूठवा, ब्लॉक खमनोर, वि.स. क्षेत्र नाथद्वारा, जिला राजसमंद में नवीन रा.प्रा.वि. खोलने की स्वीकृति निम्नांकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय सत्र 2021-22 से प्रारम्भ किया जायेगा ।
2. नवीन खोले जाने वाले विद्यालयों में पदों का आवंटन विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित मानदण्डानुसार किया जायेगा ।
3. जि.शि.अ.(मु.)प्रा.शि. कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय संचालन हेतु राजकीय भवन की उपलब्धता होने तक किसी अन्य सुरक्षित भवन की वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्यालय संचालित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
4. नवीन रा.प्रा.वि. खुलने वाले विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के रा.प्रा.वि./रा.उ.प्रा.वि., जहां नामांकन की अपेक्षा कार्यरत शिक्षकों की संख्या अधिक है, उन विद्यालयों से तृतीय श्रेणी के 02 शिक्षक लगाया जाना सुनिश्चित करावें ।

(काना राम)

I.A.S.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) विभाग (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ।

5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
6. निजी सचिव, निदेशक, कार्यालय हाजा ।
7. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
8. स. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन के प्रासांगिक आदेश की पालना में आरक्षित पदों में से प्रत्येक विद्यालय में तृतीय श्रेणी (L-2) के पद आवंटित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
9. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन/मॉनिटरिंग/शाला दर्पण (प्रा.शि.)/शिक्षक संस्थापन अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
10. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

51

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर